झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

संख्या–15

एकादश (बजट) सत्र

बुधवार, दिनांकः–22 मार्च, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 05:23 उ

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–11

(क) उत्तरित कुल–03	अ0सू0–25,	श्री प्रदीप यादव	स0वि0स0
	अ0सू0–09,	श्री सरयू राय	स0वि0स0
	अ0सू0–30,	सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
(ख) अनागत कुल–08	क्रम संख्या–252 से 259 तक।		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–44

(क) उत्तरित कुल–02	क्र०सं०–623,	श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
	क्र०सं०–624,	श्री भानू प्रताप शाही	स0वि0स0
(क) अनागत कुल–42	क्रम संख्या–625 से 666 तक।		

2. सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रश्नकाल के पूर्व कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना दी गईः–

1. माननीय सदस्य श्री सुदिव्य कुमार ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि जिस तरह से एक सांसद के द्वारा हमारे एक महिला विधान सभा सदस्या के लिए टिप्पणी की गई तथा सदन के अंदर एक सदस्य के द्वारा कपड़ा फाड़ने जैसा अमर्यादित कार्य किया गया है। इन सब बातों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाय।
2. माननीय सदस्या श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने आसन से आग्रह किया कि देश में महिलाओं के सम्मान का कत्ल किया जा रहा है और हमारे एक महिला सदस्या के लिए टिप्पणी की गई है। इसके लिए दो मिनट का मौन रखा जाय।
3. माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी ने आसन से आग्रह किया कि कल हजारीबाग विधायक श्री मनीष जायसवाल ने मुझे तालिबानी और बांग्लादेशी कहा जिससे मैं काफी आहत और मर्माहत हूँ। कृपया मुझे आसन से संरक्षण दिया जाय।
4. माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि धनबाद के बांसजोरा कोलियारी में कंपनी के द्वारा जबरन रात में आग के समीप काम कराया जाता है जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति तारापद महतो लगभग 80 प्रतिशत जल गया है और जीवन–मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। कृपया ऐसे कंपनी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किया जाय।
5. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि साहेबगंज एवं दुमका में धान का क्रय शून्य प्रतिशत किया गया है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। कृपया धान क्रय यथाशीघ्र कराकर किसानों को मदद दिलाया जाय।

6. माननीय सदस्य डॉ0 सरफराज अहमद ने सूचना दिया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं एक अन्य पदधारी का मानदेय में वृद्धि कर दी गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत् सहिया का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। कृपया इसे बढ़ाने की दिशा में संज्ञान लिया जाय।

3. आसन से घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन से सभी माननीय सदस्यों से कहा कि "मैं आश्वस्त करता हूँ कि जिन सदस्यों का कृत्य सदन की गरिमा के प्रतिकूल है, मैं उसकी जाँच अवश्य कराऊँगा।"

4. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा एवं डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा दिये गये कार्यस्थगन की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा चलते सत्र में उक्त विषय पर चर्चा संभव होने के कारण इसे अमान्य कर दिया गया।

5. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री किशुन कुमार दास	स0वि0स0
श्री ढुलू महतो	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री सोनाराम सिंकू	स0वि0स0
श्री नारायण दास	स0वि0स0
श्री बिरंची नारायण	स0वि0स0
श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री जिगा सुसारण होरो	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री केदार हजरा	स0वि0स0
श्री निरल पुरती	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0

6. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

7. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

1. आसन से पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा गत् सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सुचनाओं से संबंधित सरकार से प्राप्त उत्तर की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
2. आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री सरयू राय द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 27वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।
3. आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री निरल पुरती द्वारा प्राक्कलन समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

8. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)(मांग संख्या–04)(खण्ड–08) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 65,00,64,000/–(पैंसठ करोड़, चौसठ हजार) रूपये से अनधिक की मांग सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9. वित्तीय कार्य (क्रमांक–8 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:–

श्री सुदिव्य कुमार
श्री बिरंची नारायण — (इस क्रम में सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह — (इस क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)
डॉ0 लम्बोदर महतो
श्री प्रदीप यादव
श्री विनोद कुमार सिंह
श्री समीर कुमार महान्ती
श्री कोचे मुण्डा

आसन से पुकारे जाने पर सरकार की ओर से श्री आलमगीर आलम, प्रभारी माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) द्वारा उत्तर दिया गया, इसके उपरांत अनुदान की मॉंग (मांग संख्या–04)(खण्ड–08) सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(माननीय प्रभारी मंत्री के वक्तव्य के दौरान विपक्षी सदस्यों का सदन से बहिर्गमन एवं कुछ देर के पश्चात् पुनः आगमन)

तदुपरान्त आसन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए मुखबंद द्वारा समेकित रूप से मांग संख्या–02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60 का प्रस्ताव ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

10. सूचना

अनुदान की माँग पर चर्चा के दौरान कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना दी गईः–

1. माननीय सदस्य श्री नारायण दास ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि देवघर के लखराज जमीन की खरीद–बिक्री, निबंधन पर रोक है, परन्तु वहां के जिला उपायुक्त ने पांच सदस्यीय कमिटी गठित कर दुर्भाग्यवश इसके हस्तांतरण हेतु एन0ओ0सी0 देने का काम किया है। कृपया इसपर संज्ञान लिया जाय।
2. माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो ने आसन से आग्रह किया कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के द्वारा वर्ग–9 एवं 11 के निबंधन की दर में डेढ़ गुणा वृद्धि कर दी है साथ ही निबंधन हेतु बहुत कम समय दिया गया, जिससे लगभग दस हजार बच्चे निबंधन से वंचित हो गए हैं। निबंधन की तिथि बढ़ाने तथा निबंधन शुल्क में कमी करने हेतु संज्ञान लिया जाय।
3. माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा ने सूचना दिया कि बालू की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है। कृपया बालू घाट की नीलामी यथाशीघ्र कराने हेतु संज्ञान लिया जाय।
4. माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि बाघमारा के राधानगर को अलग प्रखण्ड बनाया जाय।
5. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सूचना के माध्यम से गंगा नदी के ऊपर साहेबगंज में जल थाना बनाने एवं वहां पर एनडीआरएफ के कंपनी स्थापित कराने का आग्रह किया।

11. विधायी कार्य

(क) झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2023**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री बन्ना गुप्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ0 लम्बोदर महतो, श्री अमित कुमार मण्डल एवं श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव "झारखण्ड चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपति नुकसान निवारण) विधेयक–2023 प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें", पर अपना पक्ष रखा। तदुपरान्त सदन नेता द्वारा आसन से इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसे आसन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–23 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–22 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।